इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1995

सा.का.नि. 133.—विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 26(1)(ख) के साथ पठित विश्वविद्यालय की संविधियों की संविधि 26 के खंड (1) के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके हुए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड, दिनांक 25 नवम्बर, 94 को हुई अपनी बैठक में परीक्षा के आयोजन और विद्यार्थी के कार्य निष्पादन मूल्यांकन के अध्यादेश के खंड (5) के उप खंड (1) और (3) में निम्नानुसार संशोधन/परिवर्द्धन करता है ।

1. उक्त अध्यादेश के खंड (5) के उपखंड (1)(ख) को संशोधन/परिवर्द्धन के बाद निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाएगा :—

1(ख) स्नातक स्तरीय कार्यक्रमों कला स्नातक, वाणिज्य स्नातक, विज्ञान स्नातक और दूर शिक्षा पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के अतिरिक्त किसी पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने और संबद्ध उपाधि/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र की अर्हता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को संबंधित पाठ्यक्रमों में कुल औसत की श्रेणी "ग" प्राप्त करनी होगी, बशर्ते कि उसने सतत मूल्यांकन या सत्रांत परीक्षा में श्रेणी "घ" से कम श्रेणी न प्राप्त की हो ।

2. निम्नलिखित उप खंड 1(च) को उक्त अध्यादेश के खंड (5) के उप खंड 1(घ) के बाद जोड़ा जाएगा :—

1(च) दूर शिक्षा पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के लिए मूल्यांकन के मानदंड और नीति नीचे लिखे अनुसार होगी :—

(i) दूर शिक्षा स्टाफ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान प्रति वर्ष भारत के अलावा अन्य देशों के दूर शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के विद्यार्थियों तथा दूर शिक्षा में कला निष्णात (एम ए डी ई) के सभी विद्यार्थियों में से जून और दिसंबर की सत्रांत परीक्षा के लिए क्रमशः अप्रैल और अक्तूबर के प्रथम सप्ताह तक पात्र अभ्यार्थियों को नामित करेगा । पात्रता का निर्णय सत्रीय कार्य, आवधिक पत्र और/या कोई अन्य प्रकार का शैक्षणिक अभ्यास जो संबंधित सत्रांत परीक्षा के लिए मार्च 31 और सितम्बर 30 तक समय-समय पर निर्धारित किया गया हो, के आधार पर किया जाएगा ।

(ii) क्रमशः जून और दिसंबर की सत्रांत परीक्षाओं के पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का परिणाम प्राप्त करने के लिए परियोजना रिपोर्ट जहां लागू हों, क्रमशः मई 31 और नवबंर 30 तक जमा करवा दें ।

(iii) किसी पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए सतत मूल्यांकन में कम से कम औसत श्रेणी "घ" और उसके बाद होने वाली सत्रांत परीक्षा में कम से कम श्रेणी "ग" होनी चाहिए। किसी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मुख्य/विशिष्ट कार्यक्रम सहित सभी पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।

(iv) विद्यार्थी एक समय में (सत्रांत परीक्षा के सत्र के दौरान) अधिक से अधिक पांच पाठ्यक्रमों अर्थात् 30 क्रेडिट में बैठ सकेगा ।

(v) कोई भी विद्यार्थी जिसने किसी एक कार्यक्रम में प्रवेश लिया हो, सत्रांत परीक्षा में तब ही बैठ सकेगा, यदि उस ने उस कार्यक्रम में पूरा शैक्षिणक वर्ष, साथ ही निर्धारित संख्या में सत्रीय कार्य आवधिक पत्र आदि पूरे किए हों ।

(vi) किसी डिप्लोमा या उपाधि को प्राप्त करने के लिए उस कार्यक्रम से संबंधित नियमों के अनुसार उस की सभी आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा ।

(ये संशोधन 1 जनवरी, 1995 से लागू होंगे)

3. उक्त अध्यादेश के खंड (5) में निम्नलिखित उपखंड (3) को जोड़ा जाए :—

(i) किसी विशेष विषय को मुख्य विषय के रूप में लेकर कला स्नातक, वाणिज्य स्नातक विज्ञान स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को उस विषय से संबंधित प्रयोजन मूलक पाठ्यक्रम के विषयों सहित 48 क्रेडिट प्राप्त करने होंगे ।

(ii) जो अभ्यर्थी अपेक्षित 48 क्रेडिट नहीं प्राप्त करते हैं, उन्हें कला स्नातक, वाणिज्य स्नातक या विज्ञान स्नातक, जो भी कार्यक्रम हो, उसमें स्नातक उपाधि बिना मुख्य विषय के दी जा सकती है ।

(iii) ऐसे अभ्यर्थी जब भी अपेक्षित 48 क्रेडिट प्राप्त कर लेंगे तो उनकी डिग्री संबंधित मुख्य विषय के साथ बदल कर प्रदान की जाए ।

[सं. आई.जी./एडमिन(जी)ओआरडी 8/92)]

दिनेश चन्द्र पंत, कार्यकारी कुलसचिव

INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY

New Delhi, the 17th February, 1995

G.S.R. 133.—In exercise of the powers conferred on it under the provisions of Clause (1) of Statute 26 of the Statutes of the University, read with Section 26(1)(b) of the University Act, the Board of Management of the Indira Gandhi National Open University, at its meeting held on November 25, 1994 made an amendment/addition to the provisions of sub-clauses (1) and (3) of Clause (5) of the Ordinance on Conduct of Examinations and Evaluation of Student Performance as indicated below :

1. Sub-Clauses (1)(b) of Clause (5) of the said Ordinance after the amendment/addition will read as follows :—

1(b) Except for the Bachelor's degree programmes of B.A., B.Com., and B.Sc. and the Distance Education courses/programmes, for the successful completion of a course and to qualify for the relevant degree/diploma/certificate, a student has to obtain an overall average of grade 'C' in the relevant course, provided that he/she does not obtain a grade lower than 'D' either in continuous evaluation or in term end examination.

2. The following Sub-clause (1)(e) will be added after sub-clause (1)(d) of Clause (5) of the said Ordinance :—

1(e) The Evaluation criteria and policy pertaining to Distance Education courses/programmes will be as under :

(i) For PGDDE students from countries other than India and all the MADE students, STRIDE will identify the eligible candidates by the 1st week of April and the first week of October for the June and December term-end examinations respectively every year. Eligibility will be decided on the assignment-responses, term papers and/or completion of any other type of academic exercises prescribed from time to time by March 31 and September 30 for the respective term-end examinations.

(ii) Project reports, wherever applicable, should have been submitted latest by May 31 and November 30 to claim course/programme results with the June and December term-end examinations respectively.

(iii) To complete a course successfully one needs to pass the continuous assessment with at least an average grade "D" and the corresponding term-end examination with at least a grade "C". To complete a programme successfully one must pass all the courses comprising the programme individually.

(iv) At a time (i.e., during a term-end examination session) a student may sit for at the most five courses (i.e., 30 credits).

(v) A candidate admitted to a programme can sit for the term-end examination only after completing the full academic year on the programme as well as the prescribed number of assignments, term papers etc., for it.

(vi) To claim a diploma or a degree one must have completed successfully all the requirements pertaining to the programme concerned in accordance with the respective regulations.

(These amendments will be effective from 1st January, 1995.)

3. The following Sub-Clause (3) be added to Clause (5) of the said ordinance :—

(i) to qualify for the award of BA/BCom/BSc degree with a particular subject as major, a candidate should obtain 48 credits including those in application oriented courses relevant to that subject;

(ii) those candidates who have not secured the requisite 48 credits may be awarded the Bachelor's Degree in Arts, Commerce or Science, as the case may be, without specifying any subject as major;

(iii) as and when such candidates secure the requisite 48 credits, the degrees awarded to them may be converted into those with the relevant subject as major.

[No. IG/Admn. (G)/ORD.8/92]

D. C. PANT, Registrar (Acting)

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1995

सा.का.नि. 134.—विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा (1)(ख) के साथ पठित विश्वविद्यालय की संविधि की संविधि 26 के खंड (1) के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड दिनांक : 22 मार्च, 93 की बैठक में परीक्षा के आयोजन तथा विद्यार्थी के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन अध्यादेश के खंड 5(1) के उपखंड (क) से (घ) में संशोधन/परिवर्तन करता है ।

उक्त अध्यादेश के खंड 5(1) को संशोधन के पश्चात् निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाए :—

(क) प्रबंध पाठ्यक्रम के सभी डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रम तथा अन्य सभी डिप्लोमा और प्रमाण पत्र के संबंध में सतत मूल्यांकन तथा सत्रांत परीक्षा दोनों में विद्यार्थी के कार्य-निष्पादन को अक्षरों की श्रेणी में दर्शाया जाएगा । ये श्रेणियां इस प्रकार हैं :—

क—उत्कृष्ट

ख—बहुत अच्छा

ग—अच्छा

घ—संतोषजनक

च—असंतोषजनक

(ख) स्नातक स्तर के कार्यक्रम, कला स्नातक, वाणिज्य स्नातक, विज्ञान स्नातक के अतिरिक्त किसी पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने तथा संबंधित डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र की अर्हता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को संबंधित पाठ्यक्रम में कुल औसत की श्रेणी "ग" प्राप्त करनी होगी, बशर्ते कि उसने सतत् मूल्यांकन या सत्रांत परीक्षा में से किसी में भी श्रेणी "घ" से कम श्रेणी न की हो ।

(ग) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान स्नातक, कला स्नातक, वाणिज्य स्नातक, विज्ञान स्नातक के कार्यक्रमों के लिए सतत मूल्यांकन एवं सत्रांत परीक्षा में विद्यार्थी के कार्य-निष्पादन की श्रेणियों को अंकों में निम्नानुसार दर्शाया जाएगा ।

पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक :

प्रथम श्रेणी—60% और अधिक

द्वितीय श्रेणी—50–% 59%

सफल— 40% — 49%

असफल — 40% से कम

कला स्नातक/वाणिज्य स्नातक/विज्ञान स्नातक के लिए :

प्रथम श्रेणी— 60% और अधिक
द्वितीय श्रेणी — 50% — 59%
सफल — 35% — 49%
असफल — 35% से कम

बशर्ते कि उपरोक्त उप-खंड (क) के अनुसार अंक विवरण/श्रेणी कार्ड में अंक एवं उनके समकक्ष अक्षर श्रेणी दर्शाई जाए।

(ध) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक, कला स्नातक, वाणिज्य स्नातक, विज्ञान स्नातक पाठ्यक्रमों के सत्रीय कार्य तथा सत्रांत परीक्षा के उत्तर आलेख के मूल्यांकन के तरीके अकादमिक परिषद के अनुमोदन से समय-समय पर मूल्यांकनकर्ताओं के मार्ग दर्शन हेतु निर्धारित किए जाएंगे।

[सं. आईजी/एडमिन(जी)ओआरडी 8/92]
दिनेश चन्द्र पंत, कार्यकारी कुलसचिव

New Delhi, the 17th February, 1995

G.S.R. 134.—In exercise of the powers conferred on it under the provisions of Clause (d) of Statute 26 of the Statutes of the University, read with Section 26 (1)(b) of the University Act, the Board of Management of the Indira Gandhi National Open University, at its meeting held on March 22, 1993 made an amendment/addition to the sub-clauses (a) to (d) of Clause (5)(1) of the Ordinance on Conduct of Examinations and Evaluation of Student Performance.

Clause 5(1) of the said Ordinance after the amendment will read as follows :—

(a) The levels of student performance, both in continuous evaluation as well as at term end examinations, in respect of all degree/diploma programmes in Management, and all other Diploma and Certificate programmes will be indicated in letter grades. These grades are :

A—Excellent
B—Very Good
C—Good
D—Satisfactory
E—Unsatisfactory

(b) Except for the Bachelor's degree programmes of B.A., B.Com., and B.Sc., for the successful completion of a course and to qualify for the relevant degree/diploma/certificate a student has to obtain an overall average of grade 'C' in the relevant course, provided that he/she does not obtain a grade lower than 'D' either in continuous evaluation or in term-end examination.

(c) The Student performance, both in continuous evaluation as well as at term-end examinations for the programmes of BLIS, BA, BCom and BSc will be in numerical marking as indicated below :

For BLIS :

I Division	60% & more
II Division	50%—59%
Pass	40%—49%
Unsuccessful	Below 40%

For BA/BCom/BSc

I Division	60% & more
II Division	50%—59%
Pass	35%—49%
Unsuccessful	Below 35%

Provided that the marks statement/grade cards may reflect both marks as well as their equivalent letter grades as specified at sub-clause (a) above.

(d) The mechanics of evaluation of assignments and answer scripts of the term-end examinations for the programmes of Bachelor in Library and Information Science (BLIS), Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Commerce (BCom) and Bachelor of Science (BSc), shall be laid down in the form of guidelines for evaluators, with the approval of the Academic Council from time to time.

[No. IG/ADMN(G)ORD. 8/92]
D. C. PANT, Registrar (Acting)

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1995

सा.का.नि. 135.—विश्वविद्यालय अधिनियम के खंड 26(1)(ए) के साथ पठित विश्वविद्यालय संविधि की संविधि 26 के खंड (1) में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ईंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड ने अपनी दिनांक 22 मार्च, 1993 को आयोजित बैठक में निम्नलिखित अध्यादेश बनाए हैं :

दर्शन-निष्णात (एम.फिल) के संबंध में अध्यादेश

I. प्रचालनात्मक निकाय/एकक :

1. विद्यापीठ इत्यादि :

दर्शन-निष्णात की उपाधि विश्वविद्यालय के घटक, किसी भी विद्यापीठ एवं अन्य संस्थान, स्वायत्त या अन्यथा द्वारा प्रदान की जा सकती है।

2. अध्ययन विद्यापीठ बोर्ड :

अकादमिक परिषद के सामान्य दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत दर्शन-निष्णात (एम.फिल.) उपाधि से संबंधित शोध-अध्ययन की व्यवस्था अध्ययन विद्यापीठ बोर्ड द्वारा शोध के प्रमुख विषय उसकी किस्म एवं उद्देश्यों की पहचान करके की जाएगी ताकि विश्वविद्यालय अपने उद्देश्य को पूरा करने में समर्थ हो सके और यह कार्य इ.गां.रा.मु.वि. की उपसमितियों एवं शोध समितियों के माध्यम से किया जाएगा।

3. शोध उप-समितियां :

प्रत्येक विद्यापीठ में एक शोध उप-समिति का गठन किया जाएगा जिसकी बनावट इस प्रकार होगी :

(1) विद्यापीठ के निदेशक